हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
19/12/24: वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु [illegible] है। पूर्व में वर्ष 2023 से लगातार समय दिया जा रहा है। न्यायहित में एक अन्तिम अवसर और दिया जाता है। वकील वादी रजि.ए.डी. तलबाना पेश करें। अप्रार्थीगण तलबी दिनांक 13/2/25 को पेश हो। आदेश की पालना न किए जाने पर CPC प्रावधान 09 R5 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।	

13/2/25

पत्रावली पेश हुई। [illegible] उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर [illegible]

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली दिनांक 24.03.2023 से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की तलबी में विचाराधीन चल रही है। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अवसर दिनांक 21.09.23, 23.5.2024, 18.06.2024 को हिदायत के साथ दिये गये है। वकील वादी को गत तारीख पेशी 19.12.2024 को प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन की जाने बाबत अन्तिम अवसर साबिका आदेश की पालना नहीं किये जाने पर प्रकरण हाजा को सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 5 के तहत खारिज किये जाने की हिदायत के साथ अन्तिम अवसर दिया गया था। परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 अदम तकमील में खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफंतर हो।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां